न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/1737/2004/भरतपुर

मु0 हरदेई पत्नी मिजाजी जाति मीना निवासी सेवला तहसील बयाना जिला भरतपुर

अपीलार्थी

बनाम

1 रमेश पुत्र जगमोहन
2 मेवाराम पुत्र जगमोहन
3 चन्दन पुत्र जगमोहन
4 बाबू पुत्र किसनलाल
5 किशोरी पुत्र यादराम
6 मु0 पानो बेवा यादराम (फौत नाम तर्क) सभी जाति मीना निवासी सेवला तहसील बयाना जिला भरतपुर
7 राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्रीमती ज्योति पारीक वकील अपीलार्थी
श्री जे.के.पारीक वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः.5.7.2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 26/02 में पारित निर्णय दिनांक 13.4.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीया अपीलार्थी ने एक वाद अधिनियम की धारा 53 व 188 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, बयाना के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सेवला स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 514 मि. रकबा 2 बीघा जिसके नवीन बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 1007 रकबा 0.13 एवं 1013/1050 रकबा 0.19 हेक्टर में वादीया का निस्फ हिस्सा है तथा शेष निस्फ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी

संख्या 3 व 4 के पिता यादराम का है। विवादित आराजीयात का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद स्वीकार कर विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का विरोध किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 5 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 30.10.2000 को वाद को प्राथमिक डिक्री किया तथा कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय दिनांक 22.1.2001 से अन्तिम डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 16.8. 2001 को स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय ने पुनः कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय दिनांक 8.2.2002 से वाद में अन्तिम डिक्री पारित की। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 13.4.2004 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक प्रावधानों की एवं रिमाण्ड आदेश की पालना नहीं की है। स्पष्ट रूप से बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार, बयाना द्वारा मौके पर जाकर स्वंय द्वारा तैयार कर प्रेषित किये जाने चाहिये एवं उनके अनुसार ही अन्तिम डिक्री पारित की जानी चाहिये। वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है बल्कि पटवारी हल्का एवं नायब तहसीलदार की बंटवारा रिपोर्ट के विपरीत निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों पक्षो को सुनकर दिये गये हैं। मौके की स्थिति के अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन बराबर बराबर किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। बंटवारा रिपोर्ट कुरेजात नायब तहसीलदार द्वारा बनाये गये हैं जो विधि अनुरूप ही है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री के अनुसार कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर खसरा नम्बर 1007 एवं 1013/1050 का बंटवारा वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य आधे आधे हिस्से अनुसार किया है।

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस निर्णय को यथावत रखते हुए अपील खारिज की है।

7. विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 22.1.2001 के विरूद्ध वादीया अपीलार्थी द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी जो निर्णय दिनांक 16.8.2001 से स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था एवं यह निर्देश दिये गये थे कि तहसीलदार को मौके पर जाकर कुरेजात बनाने चाहिये। तहसीलदार से कुरेजात प्राप्त कर वाद में निर्णय पारित किया जावे। विचारण न्यायालय ने इसकी पालना में कुरेजात रिपोर्ट तलब करने हेतु तहसीलदार, बयाना को लिखा है परन्तु कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 15.12.2001 को पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई एवं इसे तहसीलदार, बयाना ने विचारण न्यायालय को प्रेषित किया है जो अनुचित है। तहसीलदार, बयाना स्वंय मौके पर जाये एवं विधिक अनुसार दोनों पक्षो की उपस्थिति में कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करें।

8. विधिक प्रावधानों के अनुसार बंटवारे हेतु बने हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियमों के नियम 18 से 21 की पालना कर तहसीलदार, बयाना से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर दोनों पक्षो को सुनकर प्रकरण में बाई मीटस एवंबाउण्डस से पक्षकारों के मध्य बंटवारा किया जाना अपेक्षित रहने से हम प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.4.2004 तथा सहायक कलक्टर, बयाना का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.2.2002 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण सहायक कलक्टर, बयाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार, बयाना स्वंय मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियमों के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर सहायक कलक्टर को प्रस्तुत/प्रेषित करें। दोनों पक्षो को सुनकर विवादित आराजीयात का विधि अनुसार बंटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री पारित की जावे। दोनों पक्षो को निर्देश दिये जाते हैं कि वे विचारण न्यायालय में दिनांक..... को उपस्थित रहें।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष